

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 01/2024- संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी, 2024

सा.का.नि. (अ)- संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची I में - 2.5%,-

(i) क्रम संख्या 165 के सामने, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 165क के सामने, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 4 जनवरी, 2024 को लागू होगी।

[फा. सं. - 190354/223/2023-टी.आर.यू]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, जिसे सा.का.नि. 776(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।